

## हरियाणा मंत्रमंडल के महत्त्वपूर्ण नरिणय

### चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रमंडल की बैठक में हरियाणा नगर शहरी नरिमति-योजना सुधार नीति 2023 को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

### प्रमुख बदि

- हरियाणा नगर शहरी नरिमति-योजना सुधार नीति 2023 के तहत हरियाणा के अनयोजित क्षेत्र में आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति दी जाएगी। शर्त यह है कि कॉलोनी कम-से-कम 50 साल पहले बनी हो।
  - यह नीति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), हाउसिंग बोर्ड (हरियाणा), हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनयादी ढाँचा विकास नगिम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वभिग के क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्रों के भीतर बसे आवासीय क्षेत्रों में लागू होगी।
  - यह योजना उन प्लॉटों पर भी लागू होगी, जनिहोंने अपने प्लॉट को वभिजति कर दयि था। फ्लोर एरयि रेशयि (एफएआर), ग्राउंड कवरेज और प्लॉट की ऊँचाई जैसे पैरामीटर मूल आवासीय योजना के अनुरूप रहेंगे। मूल योजना की बलिडगि लाइन का भी रखरखाव कयि जाएगा।
  - आवेदन प्रकरयि को शहरी स्थानीय नकिय वभिग की ओर से वकिसति एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुवधिजनक बनाया जाएगा। आवेदन के लयि संपत्ति मालिकों को रूपांतरण शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रतविर्ग मीटर जाँच शुल्क का भुगतान और वाणजियिक कलेक्टर दर का पाँच फीसदी विकास शुल्क देना होगा।
  - परविरतित क्षेत्र पर उनहें 160 रुपए प्रतविर्ग मीटर का कंपोजशिन शुल्क भी देना होगा। इसके लयि आवेदक को 31 मार्च, 2024 तक आवेदन करना होगा। अगर इस समयावधि के दौरान भूखंड मालिक आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खलिफ कार्रवाई की जाएगी।
  - अवैध व्यावसायिक भवनों की पहचान करने और रासते के अधिकारों व प्रभावति भूखंडों का नकशा बनाने के लयि सर्वेक्षण कयि जाएगा। अगर कसिी संपत्तिको अस्वीकार कर दयि जाता है या नयिमतिकरण के लयि आवेदन नहीं कयि जाता है तो नगर पालिकाएँ अवैध नरिमाण को तोड़कर इमारत को मूल स्थिति में बहाल कर सकती हैं या लाइसेंस रद्द कर सकती हैं।
- मंत्रमंडल की बैठक में नगर पालिकाओं और नगर सुधार ट्रस्टों की ओर से आवंटति सगिल (एकल) बूथ, दुकानों और सर्वसि बूथों पर पहली मंजलि या बेसमेंट या दोनों के नरिमाण को मंजूरी दी गई। इसके लयि भी नीति को मंत्रमंडल ने मंजूरी दी है।
  - बूथ पर पहली मंजलि या बेसमेंट या दोनों के मौजूदा अनधकृत नरिमाण का नयिमति करने के लयि 31 मार्च, 2024 तक आवेदन करना होगा।
  - पहली मंजलि या बेसमेंट या बूथ के नरिमाण के लयि नई अनुमति हेतु समय-सीमा तय नहीं है। यह नीति उन नयितरति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जनि के लयि भूमि उपयोग परविरतन (सीएलयू) की अनुमति की आवश्यकता होती है।
  - इसमें नगर पालिका सीमा के भीतर नगर एवं ग्राम नयिोजन वभिग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त योजनाएँ भी शामिल नहीं हैं।
  - इसके अलावा नीति में तहबाजारी या खोका के तहत दुकानों या नगर पालिकाओं की ओर से आवंटति कसिी भी अस्थायी संरचना को शामिल नहीं कयि गया है।
  - आवेदकों से परस्तावति कूल नरिमति क्षेत्र पर 10 रुपए प्रतविर्ग मीटर का शुल्क लयि जाएगा। मौजूदा प्रथम तल या बेसमेंट नरिमाण के नयिमतिकरण के लयि शुल्क 10 रुपए प्रतविर्ग मीटर है, लेकिन यह भूतल पर संरचना सहति भूखंड पर परस्तावति और मौजूदा नरिमति क्षेत्र, दोनों पर लागू होता है।
- बैठक में हरियाणा डिजिटल मीडिया वजिजापन नीतिको मंजूरी दी गई। यह नीति सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शामिल करने के लयि लाई गई है।
  - वर्ष 2007 और 2020 की मौजूदा नीति केवल प्रटि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट तक ही सीमति थी। नई नीति के तहत सोशल मीडिया समाचार चैनलों को उनके ग्राहकों, अनुयायिओं और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पैनल में शामिल करने के लयि पाँच श्रेणयिाँ बनाई गई हैं।
  - डीआईपीआर हरियाणा की ओर से इन श्रेणयिाँ के अनुसार सोशल मीडिया समाचार चैनलों को सूचीबद्ध कयि जाएगा। पैनल सलाहकार समतिि प्रत्येक श्रेणी, वजिजापन प्रारूप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लयि समय-समय पर दरें तय करेगी।
- मंत्रमंडल ने प्रदेश के पत्रकारों की पेंशन को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने की भी मंजूरी दे दी है।
- मंत्रमंडल ने यात्रयिाँ की सुवधि के लयि स्टेट कैरजि बसों के करिये में पाँच रुपए तक के करिये को राउंड ऑफ करने की मंजूरी दी है। साढ़े सात कमी. तक यात्रा करने पर पाँच रुपए और आठ से दस कमी. की यात्रा करने पर दस रुपए लयि जाएंगे। इससे अब आम जनता के साथ-साथ कंडक्टरों को भी सकिाँ और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-haryana-cabinet>

